22/7/2024 आज यह पत्रावली पेश।

हुई अपीलान्ट उपस्थित है।
रेस्पोण्डेन्ट अनुपस्थित है। विस्तृत
निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर
शामिल पत्रावली किया गया। बाद
तरमीम दाखिल दफ्तर हो।
निर्णय आज दिनांक 22/07/2024 को
मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया
गया।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

राजस्थान – सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला खैरथल– तिज़ारा राज0

पीठासीन अधिकारी :– सुरेन्द्र प्रसाद

(R.A.S.)

अपील संख्या :– 04 / 2024
तारीख दायर :– 18.03.2024
तारीख निर्णय :– 22 / 07 / 2024

<u>उनवान</u>

1. रामचन्द्र पुत्र श्री लालाराम उम्र करीब 69 साल जाति अहीर निवासी भिवाडा की ढाणी तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राजस्थान ।

----अपीलान्ट

// बनाम //

1. सरपंच ग्राम पंचायत पदमाडा खुर्द पंचायत समिती मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राजस्थान।

--- रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा ग्राम पंचायत पदमाडा खुर्द तहसील मुण्डावर दिनांक 25 / 01 / 2024 जिसके द्वारा इंतकाल सं० 129 को गलत रूप से निरस्त कर दिया।

उपस्थिति – श्री दयाराम तंवर वकील वादी

<u>// निर्णय //</u>

आज यह पत्रावली पेश की गई। अपीलान्ट के वकील को सुना तथा पत्रावली का अध्ययन किया। पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि – अपील अपीलान्ट इंतकाल सं० 129 दिनांक 25 / 01 / 2024 आज्ञा ग्राम पंचायत पदमाडा खुर्द तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राजस्थान के खिलाफ पेश की जा रही है। अपील अपीलान्ट में आदेश ग्राम पंचायत पदमाडा खुर्द तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राजस्थान द्वारा पारित किया गया जिससे असंतुष्ट होकर पेश की जा रही है, जो श्रीमान के श्रवणाधिकार में है। मिन अपीलान्ट ने आराजी ख० नं0 973 रकबा 0.78 हैक0, वाके ग्राम पदमाडा कलां तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राजस्थान का 1/2 भाग

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

...स्थान से खरीद किया

जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 09/11/2023 को जगरूप पुत्र श्री रामस्वरूप जाति अहीर निवासी सरूपसरायं हाल निवासी पदमाडा कलां तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राजस्थान से खरीद किया था जिसका कब्जा विकेता ने केता को मौके पर करा दिया था जिस पर आज भी केता/अपीलान्ट काबिज काश्त है। उक्त बैयनामे का इंतकाल पटवारी हल्का पदमाडा खुर्द तहसील मुण्डावर ने पेश करने पर दुबारा आगामी बैठक में पेश करने का आदेश किया था उसके पश्चात उक्त इंतकाल का अंकन जमाबन्दी में निरस्त कर किया है। उक्त आदेश दिनांक 25/01/2024 ग्राम पंचायत पदमाडा खुर्द ने विधि के विपरीत जाकर किया है जो आदेश गलत है। दिनांक 11/03/2024 को मिन प्रार्थी अपनी केसीसी की फाईल बनवाने के लिये पटवारी हल्का के पास गया तो पटवारी हल्का से रिकोर्ड देखने पर दिनांक 25/01/2024 के आदेश की जानकारी हुयी जिस पर राजस्व रिकोर्ड की नकल प्राप्त कर अपने वकील साहब से कानूनी सलाह मशविरा कर अविलम्ब ही अपील पेश की जा रही है। अतः अपील पेशकर अर्ज है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर इंतकाल सं0 129 दिनांक 25/01/2024 ग्रा पंचायत पदमाडा खुर्द तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राजस्थान द्वारा दर्ज किया गया इंतकाल खारिज फरमाया जावे। तथा मिन अपीलान्ट रामचन्द्र के नाम जगरूप पुत्र श्री रामस्वरूप जाति अहीर निवासी सरुपसरायं हाल निवासी पदमाडा कलां तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राजस्थान का इंतकाल (नामान्तरण) दर्ज किया जावे।

अपील दर्ज कर रेस्पोडेन्ट को द्वारा नोटिस तलब किया गया। उपस्थित नहीं आये।

हमने अपील अपीलान्ट वकील की बहस सुनी जिसमें विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

हमने पत्रावली का अध्ययन किया। अपीलान्ट द्वारा विवादित आराजी को द्वारा बैयनामा खरीद किया है जिसका नामान्तरण पटवारी हल्का द्वारा दर्ज किया जाना पाया जाता है। ग्राम पंचायत पदमाडा खुर्द द्वारा इंतकाल खारिज करने का कोई युक्तियुक्त कारण अंकित बिना किये ही इंतकाल विधि विरूद्ध खारिज किया है जिस सूरत में अपील अपीलान्ट स्वीकार होने योग्य है।

अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है कि इंतकाल सं0 129 दिनांक 25/01/2024 ग्राम पंचायत पदमाडा खुर्द तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राजस्थान द्वारा पारित आदेश खारिज किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार मुण्डावर को प्रतिप्रेषित कर आदेश है कि पत्रावली पर सुनवायी कर विधिसंगत निर्णय किया जावे। तदानुसार पालनार्थ अहकाम बनाम तहसीलदार मुण्डावर को भेजा जावे।

आज दिनांक 22/07/2024 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

सुरेन्द्र प्रसाद
(R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)